International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 25-12-2020; Accepted: 10-01-2021; Published: 31-01-2021
Volume 3, Issue 1, 2021, Page No. 33-36

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता

Dr. Mandira Gupta
Associate Professor, Department of Sociology, M.M.H. College, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

सारांश
महिला उत्थान एवं उसके संपूर्ण विकास हेतु महिला शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षित नारी एक कुछ हद तक स्वावलंबी जीवन जी सकती है। महिलाएं समाज की रीढ़ है उनका विकास परिवार, समाज और देश का विकास है क्योंकि वह मां है, बहन है, और बहू भी है। अतः स्त्री शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर जोर दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नारी की स्थिति में सुधार हुआ है वह घर की चारदीवारी लांग कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अर्थ उपार्जित करती है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां नारियों की पहुंच ना हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, या सामाजिक, विज्ञान या क्रीडा जगत।

मूल शब्दः संवैधानिक अधिकार, महिला शिक्षा, संपूर्ण विकास

प्रस्तावना
संविधान में भी सैद्धांतिक रूप से बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार की व्यवस्था के बावजूद देश में महिलाएं उत्पीड़ित है. अबला ही बनी हुई है. रूढ़िवादी समाज में यह स्थिति और भी विषम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि यहां आज भी पुरुष प्रधान समाज है. अकेली महिला चाहे, विधवा हो या परित्यक्ता, उसे हिन बेचारी समझा जाता है. महिलाओं के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम में साक्षरता एवं अन्य आर्थिक प्रवृतियां शामिल कर सरकार नारी उत्थान में सक्रिय है. पर इन कार्यों में सरकार की पूर्ण सफलता स्वयं महिलाओं के सहयोग पर ही निर्भर है. महिलाओं में जनजागृति और आत्मविश्वास जागृत हो तथा आत्म हीनता एवं विस्मृति की जगह आत्म चेतना जागृत हो. भारतीय नारी की नियति शायद तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम पूर्णतया आर्थिक एवं मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक इस सृष्टि की निर्मात्री नारी उपेक्षित ही रहेगी।

भारतीय संस्कृति में हिंदू स्त्री को सदैव ही गौरवपूर्ण स्थान मिला है और अधिकार भी, परंतु पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में चाहे अधिकार हो या प्रस्थिति, स्त्री हमेशा निरंतर ही रही है निम्नतर ही रही है और उसकी भूमिका एवं महत्व पुरुषों की तुलना में कम ही रहा है. परिवार व सामाजिक स्थिति से परे यदि हिंदू महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व संपत्ति स्वामित्व की बात की जाए तो उनकी स्थिति पिछड़ों में भी पिछड़े की रही है और यह आज भी है. परंपरागत समाज में एक हिंदू स्त्री को जो भी संपत्ति उपहार स्वरूप स्त्री धन के रूप में मिल जाती थी, वही उसकी संपत्ति होती थी शेष भूमि एवं मकान से संबंधित सभी अधिकार अधिकांशत पुरुषों के हिस्से में आते थे. यद्यपि वर्तमान परिपेक्ष में स्थिति परिवर्तित हुई है परंतु पितृसत्ता एवं परंपरा व संस्कृति के आधार पर आज भी अधिकांश महिलाएं संपत्ति में मकान व भूमि के अधिकार से वंचित ही है. परिवार व सामाजिक संरचना में स्थापित पुरुष सत्ता तथा परंपरा व संस्कृति का ही प्रभाव है जिसमें मकान व भूमि विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों को ही हस्तांतरित हुई है और महिलाओं ने भी स्वयं अपने अधिकारों की मांग नहीं की है ।

भारतीय संदर्भ में देखे तो उत्तराधिकार हो या महिलाओं के अन्य अधिकार या स्थिति जो कि परंपरागत सत्ता की देन है उनको कानूनी सत्ता आज भी पूरी तरह परिवर्तित नहीं कर सकी है। अतः सत्ता एवं संस्कृति दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके अंतर्संबंध सदैव ही जटिल रहे हैं. महिला उत्तराधिकार एवं उनकी प्रस्थिति के संदर्भ में देखें तो उसी के समानांतर पारंपरिक सत्ता अर्थात पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी चलती रहती है। पारंपरिक सामाजिक संरचना एवं सत्ता में पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहा है और स्त्री के अधिकार पुरुषों से निम्नतर ही रहे हैं। यद्यपि वर्तमान समय में स्त्री–पुरुष के संबंधों एवं अधिकारों में परिवर्तन हुआ है और तार्किक विधिक सत्ता वह संविधान द्वारा स्त्री के अधिकार क्षेत्र व सम्मान की व्यवस्था की गई है जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।

महिला समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है. समाज में महिला एवं पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एक के विकास का होना या विकास का अवरुद्ध हो जाना पूरे समाज को प्रभावित करता है. आधुनिक होने का दंभ भरते हमारे समाज में आज भी महिलाओं से जुड़े कुछ विषय हैं, जिनके जवाब हम ढूंढ नहीं पाए हैं। वर्षों से महिलाओं की स्थिति एक शोषित के रूप में ही रही है और जब कभी उसकी स्थिति को सशक्त करने का प्रयास किया गया अन्य लोगों द्वारा उसे बलपूर्वक दबा दिया गया। उन्हें कई प्रकार के रीति–रिवाजों में फंसा कर उसकी स्वयं के बारे में सोच को ही समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह का रिवाज, आजीवन वैधव्य की बाध्यता, दहेज प्रथा या संपत्ति पर अधिकार निषेध ने महिला के स्वतंत्र विकास में बाधा उत्पन्न की है. यह सब रीति रिवाज मानव मन के गहरे तक बैठे हुए हैं। इनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है. महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानून का निर्माण किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिर्फ कानूनों का निर्माण होने से ही विकास व सुधार हो जाएगा? शासक ऐसे कानून आसानी से पास करने के जरा भी इच्छुक नहीं होते. शासकों के साथ ही साथ रूढ़िवादी विचारधारा वाले भारतीय परंपरा। रीति–रिवाजों में परिवर्तन हिंदू धर्म के प्रति प्रहार मानते हैं।

महिलाओं के उत्थान के लिए कानून
भारत में महिलाओं का के उत्थान से संबंधित बहुत से कानून बनाए गए हैं।

1874 का विवाहित महिला का संपत्ति अधिनियम
भारत में जब महिला को स्वयं धन के रूप में माना जाता था, तब उसे संपत्ति संबंधी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे–धीरे महिलाओं में जागृति का संस्कार हुआ जिससे उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई. 19वीं सदी में भारत में पर्याप्त आर्थिक परिवर्तन हुए । परिणाम स्वरूप महिलाओं में संपत्ति संबंधी समस्या भी देखने को

मिली। इस समस्या से निजात पाने के लिए 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विवाहित महिला का संपत्ति अधिनियम पारित किया गया।

1929 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम

सरकार ने इस कानून के द्वारा महिला उत्तराधिकारीयों की संख्या में भारी वृद्धि की गई है। यह कानून सभी की संपत्ति से संबंधित की गई इस कानून के अंतर्गत पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री, को बंधु की श्रेणी में रखा गया है इसलिए उनका स्थान दादा के बाद तथा काका के पहले रखा गया है।

1939 का हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम

ब्रिटिश काल में ही विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया. इस नियम के अनुसार बिना वसीयतनामा लिखे ही हिंदू पति की मृत्यु हो गई हो उस पर यह अधिनियम लागू होता है।

1937 का मुस्लिम शरीयत अधिनियम

अधिनियम मुस्लिम समाज के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मुस्लिम समाज में अनेक कुप्रथा प्रचलित हैं, जैसे बहूपत्नी, पर्दा प्रथा तथा पुरुषों को तलाक लेने का विशेषाधिकार. इन्हीं सब परिस्थितियों में यह अधिनियम मुस्लिम स्त्रियों को भी तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है।

1939 का मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम

भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुपत्नी विवाह वाली प्रथा के कारण अत्यंत बदतर हो गई थी। मुस्लिम पुरुष किसी भी स्त्री, को कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता था। मुस्लिम समाज में केवल तलाक शब्द को 3 बार बोल देने मात्र से ही विवाह विच्छेद हो जाता था अतः वर्तमान में मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक संबंधी अधिकार देना समय की आवश्यकता बन गई। ताकि स्त्री विषय पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। अतः मुस्लिम स्त्रियों का अधिकार दे दिया गया।

1946 का अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम

इस अधिनियम के द्वारा हिंदू महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में ही अपने पति से अलग रहने एवं भरण पोषण का अधिकार प्रदान किया गया।

1948 का फैक्ट्री एक्ट

1948 में यह कानून फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित है। इसके द्वारा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पहली बार एक कानून पारित किया गया था जिसके अंतर्गत मजदूर से दिन में ज्यादा से ज्यादा 11 घंटे काम कराने की अनुमति कर दी गई कानून में निर्धारित 11 घंटों में डेढ़ घंटे का अवकाश भी शामिल होता था. इसमें यह भी कहा गया था कि कुछ अनिवार्य स्थितियों को छोड़कर सामान्यतया किसी भी स्त्री को रात में 7रू00 बजे तक कारखाने में नहीं रखा जा सकता।

1951 कर्मचारी बीमा योजना

भारत सरकार की इस योजना में विद्युत शक्ति से संचालित कारखानों को भी शामिल किया गया है, जो अस्थाई प्रकार के हो तथा जिसमें 20 से अधिक मजदूर काम करते हो। फैक्ट्री कानून के अंतर्गत 12 सप्ताह तक प्रसूता स्त्री को निर्धारित मूल्य के हिसाब से प्रतिदिन सहायता देने की व्यवस्था की गई इस योजना में 12 सप्ताह की छुट्टी को दो भागों में बांटा गया था। 6 सप्ताह प्रसूति के पूर्व तथा 6 सप्ताह प्रसूति के बाद।

1952 महिलाओं की कार्य संबंधी अधिनियम

भारत सरकार ने इस कानून के द्वारा वे कार्य जिसमें ज्यादा खतरा हो या स्त्री को शारीरिक स्वास्थ्य की हानि पहुंचने की संभावना हो, ऐसे सब कार्यों पर महिलाओं के लिए प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है।

1954 का विशेष विवाह अधिनियम

ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1872 में विशेष विवाह कानून पारित किया गया था जिसमें दो अलग–अलग जातियों के व्यक्तियों के बीच स्थापित विवाह संबंधों को मान्यता प्रदान की गई थी यही विवाह संबंधी कानून 1954 में पारित किया गया।

1955 का हिंदू विवाह अधिनियम

भारत सरकार द्वारा 18 उंल 1955 को विवाह से संबंधित एक नया अधिनियम पारित किया गया जो भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू पर लागू हुआ. लेकिन या अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया गया। इस अधिनियम में समस्त जातियों के स्त्री–पुरुष को विवाह एवं तलाक अधिकार प्रदान किए गए. इस अधिनियम में दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें निम्नलिखित है।

1. विवाह संबंधों की समाप्ति
2. न्यायिक पृथक्करण की स्थिति
3. विवाह विच्छेद या तलाक

1956 स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम

समाज में जब वेश्यावृत्ति जघन्य अपराध माना गया है इसको रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा समय–समय पर आवाज उठाई गई और कई समाज सुधारक को द्वारा इसे रोकने का प्रयास भी किया गया। भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति एवं अनेक अनैतिक व्यापार को रोकने की दृष्टि से सन 1956 में अधिनियम पारित किया गया।

1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

वर्तमान में विद्यमान संपत्ति अधिकार की सीमाओं को समाप्त करने तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह अधिनियम पारित किया गया।

1961 का दहेज निरोधक अधिनियम

भारत में वर मूल्य अर्थात दहेज का प्रचलन काफी समय से ही था लेकिन यह काफी समय के विकृत रूप में सामने आने लगा। इसके कारण बहुत योग्य युवक–युवतियों का विवाह केवल दहेज की कमी से नहीं हो पाता था। इसलिए स्वतंत्र भारत की सरकार का ध्यान इस और गया और 1 जुलाई 1961 को दहेज निरोधक अधिनियम लागू कर दिया गया।

महिलाओं के उत्थान से संबंधित अन्य कानून

सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829
बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे–जैसे मजबूत होती गई महिलाओं का पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम में भी तेजी आती, विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतंत्रता, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी, निर्णय की प्रत्येक अस्तर को समानता, खान–पान, रहन–सहन, शिक्षा आदि के क्षेत्र

में समानता आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरुषों के बराबर लाया गया और जहां कहीं आवश्यकता थी वहां उनके सम्मान व निष्ठा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए। महिलाओं के विकास के संदर्भ में पूरे विश्व में महिला उत्थान और विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया. इस के तीन उद्देश्य स्पष्ट किए । सर्वप्रथम पुरुष और महिलाओं की को समानता का दर्जा देना । द्वितीय विश्व शांति की स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना. तृतीय विकास कार्य में स्त्रियों का योगदान । अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को ट्रिब्यून के नाम से भी जाना जाता है. महिला वर्ष के कार्यक्रमों को नई दिशा सहयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए गए ।

1. महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक ना समझ कर एक समान नागरिक समझा जाना चाहिए ।
2. नारी के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म राष्ट्र भेद–भाव की समाप्ति हेतु सार्थक प्रयास।
3. सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए.
4. विश्व शांति में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ।
5. देश व समाज के निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी होनी चाहिए छठवां महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए ।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना ।

उपकल्पना

1. महिला की स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है ।
2. वे अपने अपने मानवाधिकारों के प्रति जागृत हुई है ।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए बनी संवैधानिक अधिनियम, योजना, नीतियां, आयोग आदि के फल स्वरुप समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। प्रस्तुत शोध लेख में द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया है

साहित्य समीक्षा

चौहान पंजाब आनंद राव की पुस्तक "भारतीय राजनीति एवं महिलाएं" भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति पर विशद वर्णन किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका, भारतीय संविधान से प्राप्त महिलाओं को महत्वपूर्ण उपबंध, महिला की स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्थिति पर महत्वपूर्ण को प्रकाश डाला गया है।

सुनील गोयल संगीता गोयल ने अपनी पुस्तक "भारतीय समाज में नारी" में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समाज में व्याप्त महिला की स्थिति पर प्रकाश डाला है एवं इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनी प्रावधानों पर भी अध्ययन किया गया है।

ममता ने अपनी पुस्तक "घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता" में भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया है एवं इनके साथ ही अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता के स्तर को दर्शाया गया है।

प्रेम नारायण शर्मा, झा संजीव कुमार, विनायक वाणी, विनायक सुषमा, ने अपनी पुस्तक "महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास" महिला सशक्तिकरण की नीतियां एवं कार्यक्रम आदि का वर्णन किया है।

किश्वर मधु एवं रूथ वनिता ने अपने महिला संपत्ति अधिकार को लेकर समाज में व्याप्त ऐसे कारणों पर प्रकाश डाला है जिससे हिंदू महिलाओं को 1956 के अधिनियम में जो संपत्ति का अधिकार मिला, वास्तविकता में महिलाएं उस से वंचित ही है, जैसे दहेज ही बेटी को मिलने वाला हिस्सा है, ऐसा होने से भाई–बहन में प्यार खत्म हो जाएगा, औरतें संपत्ति संभाल नहीं पाएंगे और ससुराल भी तो है आदि मिथक जिनके कारण महिलाएं आज भी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है।

मुल्ला के अनुसार हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर से एक विचारणीय विषय माना जाता है, और आपका तर्क है कि इस मुद्दे की जड़ें धार्मिक–कानूनी और सामाजिक–संस्कृतिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ी है. आपके अनुसार इस विषय पर सामाजिक–सांस्कृतिक, कानूनी और धर्मनिरपेक्ष तत्वों के बीच एक अच्छे समन्वय और संतुलित विचार–विमर्श की आवश्यकता है जिससे संपूर्ण हिंदू समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिल सके।

सुनीता के अध्ययन 300 महिलाओं के प्रतिदर्श पर आधारित है तथा अध्ययन क्षेत्र के रूप में आगरा शहर को चुना गया है. अध्ययन में वर्णनात्मक, अनुशासनात्मक अन्वेषणत्मक, शोध पद्धति के द्वारा उत्तराधिकार कानून से स्त्रियों को जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है उसका पितृसत्तात्मक संस्कृति से संबंध देखने का प्रयास किया गया है. निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि कानूनी आधार पर भले ही स्त्री को अधिकार मिल रहे हैं, वह स्वतंत्र है, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर वह अधीन है.

राम अहूजा ने स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है. अपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसा. प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति अपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं. बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के मुख्य उदाहरण है. द्वितीय श्रेणी में परिवारों में स्त्री के साथ किए जाने वाले शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है. दहेज हत्या पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है. तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है जिसमें पत्नी/बहू को भ्रूण हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को "सती" के लिए विवश करने, स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा ना देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़न करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है. सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में देखा जा सकता है।

सोनल का कहना सही है कि इस घरेलू हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है. नगरों में स्त्रियों को परस्पर बातचीत करना सीखना चाहिए और एक दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए. सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण ग्रहों की है जहां ऐसी परिस्थिति में स्त्री अपने बच्चों के साथ सर छिपा सके और फिर इसी दशा में आवश्यक कदम उठा सके। यहां यह बता दिया जाना आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से स्त्री के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है और पुलिस का दायित्व है कि ऐसे मामलों की जांच करें. ऐसा ना करना उनकी कार्य के प्रति लापरवाही समझी जाती है जो दंडनीय है. किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा निजी विषय नहीं हो सकता, यह तो सार्वजनिक मामला है।

वेणुगोपाल ने भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया . यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा–जोखा देने हेतु विवश करता है अन्य किसी पुरुष के साथ उसके एवं संबंध के संदेह में की अवमानना करता है तो इसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है. लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय

पत्नी के साथ यौन संबंधी कार्य होती उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबस्ती करना है।

निष्कर्ष

समय के साथ साथ होने वाले आंदोलनों तथा आर्थिक व शैक्षणिक निर्भरता ने स्त्रियों में समानता की चेतना को जन्म दिया है। भारत में भी निश्चित रूप से स्त्री शिक्षा एवं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप उनकी परंपरागत स्थिति में सुधार हुआ है. इसके फलस्वरूप महिलाओं में स्वतंत्र विचारों का जन्म हुआ है। महिलाओं के उत्थान में नए कानूनों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। समाज में सशक्तिकरण को लेकर सकारात्मक परिवर्तन हुए लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से इस दिशा में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि ना सिर्फ सरकार को अपितु समाज, समुदाय को भी सभी को जागरूक होना होगा ताकि महिला को अपने अधिकार के प्रति स्वयं भी संरक्ष एवं सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा. आज आधुनिक युग में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। महिलाओं ने स्वयं को मुख्यधारा से जोड़ लिया पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने महिलाओं के संरक्षा, सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया जिससे महिलाओं के अधिकारों के प्रति काफी बदलाव आया।

प्रस्तुत लेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आज स्त्री के प्रति अपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का संबंध घर गृहस्ती में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शांत और सम्मानित परिस्थिति वाले अनेक परिवारों में जहां पति पत्नी दोनों शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं फिर भी मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं और यदि स्त्री ने इसे बर्दाश्त कर लिया तो यह निरंतर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से स्त्री बड़ा असहाय महसूस करती है क्योंकि वह कहीं शिकायत करें चाहे पड़ोसी है, चाहे उसके सगे संबंधी, चाहे पुलिस, वकील या जज सभी उसे समझौता करने की सलाह देते हैं. जैसा कि सोनल कहती हैं इस घरेलू हिंसा के विरोध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। किसी भी सामाजिक समस्या का निदान उसके कारणों में निहित होता है कहने के लिए तो स्त्रियों में सशक्तिकरण का चाहे जितना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर ले किंतु यह सत्य है कि आज भी प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी को दर्ज करने के उपरांत भी सामाजिक रूप से उसे वह दर्जा नहीं मिल पाता है जहां उसे एक पुरुष के बराबर खड़ा कर सकें. समाज के प्रति जिम्मेदार लोगों को इस पर विचार करना होगा ताकि स्त्री पुरुष को समानांतर स्थान पर लाकर खड़ा कर सकें तभी स्त्री की संरक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण होगी।

संदर्भ सूची

1. चौहान पंजाब आनंद राव, "भारतीय राजनीति और महिलाएं", चंद्रलोक प्रकाशन, कानपुर, 2017.
2. शर्मा प्रेम नारायण, झा संजीव कुमार, विनायक वाणी, विनायक सुषमा, "महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास", भारत बुक सेंटर, लखनऊ, 2020.
3. ममता (उद्धृत), "घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता", रेगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, च. 87.
4. Madhu kishwar, Ruth Vanita, Inheritance rights for women: A Response to some commonly eÛpressed fearsß] Manushi, Issue No. 57, 1990, P- 3–15.
5. Mollah IH. Hindu women*s Right to Property at the Crossroads: The tension between human rights and cultural relativism-ß Journal of society and change] August 2015, 8.
6. सुनीता, "पुरुष सत्तात्मक संस्कृतिरू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में सामाजिक अवरोधको की विवेचना", Asian journal of Educational Research and Technology,20166:3(3):76–81.
7. Ahuja Ram. Social Oroblems in India, 215.
8. Venugopal-P-] Different Forms of Violence and Harassment against Womenß] Indian Journal of Criminology Vol- 29 (1 and 2)] January and July, 2001,29(1and2)1-7ए
9. Sonal, Saavy, Oct, 1986, 47–53.